



झारखण्ड JHARKHAND

B 666453

DEVELOPMENT AGREEMENT

लेख्यकारीगण :- 1. श्री ठाकुर प्रेमनाथ सिंह, 2. श्री राजनाथ सिंह, दोनों पिता स्व० वैद्यनाथ सिंह, जाति-राजपूत, पेशा-व्यवसाय, साकिन-बिलासी जालन, देवघर, धाना, सबडिविजन, सबरजिस्ट्री व जिला-देवघर, झारखण्ड।

लेख्यधारी :- मेसर्स विन्ध्यवासिनी कन्स्ट्रक्शन्स रजिस्टर्ड ऑफिस 403, नमिता इनक्लेव, रंजन पथ, आर.पी.एस. मोड़, बेली रोड पटना पिन-801503 द्वारा पार्टनर श्री नीरज चन्द्रयात्री, पिता श्री नवल किशोर प्रसाद, साकिन-कदमकुआँ, पो0+थाना-कदमकुआँ, जिला-पटना (बिहार) एवं पार्टनर श्री कौशलेश रंजन, पिता जितेन्द्र कुमार वर्मा, 403, नमिता इनक्लेव, रंजन पथ, आर.पी.एस. मोड़, बेली रोड पटना पिन-801503, राष्ट्रीयता-भारतीय 'बिल्डर' / डेवलेपर्स / द्वितीय लेख्यधारी यहाँ लेख्यधारी से अभिप्राय है उनके

VINDHYAVASINI CONSTRUCTIONS

Kaushalash Ranjan
Partner

Niraj-Chandrayatri, Kaushalash Ranjan
15/1/20

15/01/20

Raj Nath Singh
15-01-2020
ठाकुर-प्रेमनाथ-सिंह
15/01/2020

उत्तराधिकारी, कार्यालय उत्तराधिकारी एवं प्रतिनिधियों से है, जिनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लेख्यधारी से है, सम्मिलित किया जाता है।

लेख्य प्रकार :- डेभलपमेन्ट एग्रीमेंट।

लेख्य संदर्भ :- हकियत यह है कि सूची संख्या-1 की भूमि लेख्यकारी के दादी स्व0 श्रीमती जशोदा देवी पति स्व0 राय साहब ठाकुर, कामता सिंह, साकिन-बिलासी टाउन, जिला-देवघर ने दिनांक 03.08.1936 ई0 में देवघर निबंधन कार्यालय से निबंधित एक कीता खोश केवाला दलील पुस्तक संख्या-1, जिल्द संख्या-8, पृष्ठ संख्या-118, से 120 में निबंधित जिसका संख्या-315 वर्ष 1936 ई0 जिसका कुल रकबा-1 (एक) बीघा (122x223) Sq. ft. में खरीदकर उस पर निर्विवाद रूप से भोग दखल करते रहें।

उपर्युक्त श्रीमती जशोदा देवी पति स्व0 राय साहब ठाकुर, कामता सिंह अपने पीछे एक मात्र पुत्र वैद्यनाथ सिंह को छोड़कर स्वर्गवास कर गये।

उपर्युक्त वैद्यनाथ सिंह उक्त सम्पत्ति वारिससूत्र से प्राप्त कर उक्त सम्पत्ति पर भोग दखल करते हुए अपने पीछे दो पुत्र क्रमशः ठाकुर प्रेमनाथ सिंह, राजनाथ सिंह को छोड़कर स्वर्गवास कर गये।

इस प्रकार हमलोग लेख्यकारीगण वारिस सूत्र से प्राप्त सम्पत्ति पर निर्विवाद रूप से भोग दखल करते आ रहे हैं तथा अंचल कार्यालय देवघर में नामान्तरण वाद संख्या-1397/2009-10 करवाकर तथा नगर निगम टैक्स अदाय करते हुए आज तक उक्त सम्पत्ति पर निर्विवाद रूप से भोग दखल करते आ रहे हैं।

विदित हो कि लेख्यकारी सूची सं0-1 के वर्णित सम्पत्ति जिसका कुल रकबा-8425 वर्गफीट पर मोसलम दखल-कब्जा वो स्वामित्व लेख्यकारीगण को प्राप्त है और उपरोक्त

Singh-Chandhu Kaushalish Rayan

15/1/20

15/01/20

VINDHYAVASINI CONSTRUCTIONS
Kaushalish Rayan
Partner

Raj Nath Singh
15.01.2020

21/02/2014
15/01/2020

सम्पत्ति सभी तरह के नुक्स हकियत से पाक वो साफ है ऋणभार से मुक्त है। इस तरह से भूस्वामी/लेख्यकारीगण का निम्नांकित भूमि पर हक, हकियत वो अधिकार प्राप्त है।

- 1 यह कि लेख्यकारी यह घोषणा करते हैं कि यह भूखंड पूर्णतः साफ-सुथरा अर्थात सिलिंग, एक्जुजिसन सत्व दोष, ऋणभार आदि से मुक्त है तथा इन पर किसी तरह का कर्ज, बकाया या ऋणभार नहीं है साथ ही इस जमीन पर किसी अन्य सरकारी विभाग से भी अटैचमेंट या एक्जुजिसन से संबंधित कोई सूचना नहीं है। इस जमीन से संबंधित किसी प्रकार का कोई केश न्यायालय में नहीं है यह जमीन पूर्णतः बिक्री योग्य है और यह भूखण्ड देवघर नगर निगम के जमीन को किसी तरह से प्रभावित नहीं करता है और बहुमंजिला ईमारत बनाने योग्य है। लेख्यकारीगण यह भी घोषणा करते हैं कि लेख्यकारीगण इस भूखण्ड के पूर्णतः मालिक (भू-स्वामी) है तथा इन्हें बेचने आदि का सभी अधिकार प्राप्त है, परन्तु अभी तक किसी के साथ न तो बेचे हैं, न दान किये हैं, न ही रेहन रखे हैं, न तो इस तरह का कोई अन्य एकरारनामा (एग्रीमेंट) स्टैंड करता है।
- 2 यह कि लेख्यकारीगण, इस एग्रीमेंट के बाद, लेख्यधारी एवं इनके स्टाफ, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, एजेंट इत्यादि को हरेक तरह से सहायता प्रदान करेंगे तथा सभी प्रकार का व्यय शुरु से अंत तक लेख्यधारी करेंगे, जैसे उक्त भूखण्ड पर जाने, रहने प्रचार हेतु बोर्ड लगाने या बिल्डिंग मटेरियल जमा करने हेतु एवं अन्य विकास पूर्व कार्य, जमीन नापने बाउण्ड्री करने इत्यादि।
- 3 यह कि लेख्यकारी इस वसीका के निष्पादन के तिथि से भूखण्ड लेख्यधारी को सौंप देंगे साथ ही लेख्यधारी के विकास के क्रिया-कलापों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

Raj Nath Singh
15-01-2020

8/01/2020
15/01/2020

Nisai-Chandh
15/1/20
3

Kaushalesh Ranjan
15/01/20

VINDHYAVASINI CONSTRUCTIONS
Kaushalesh Ranjan
Partner

- 4 यह कि लेख्यकारी यह भी घोषणा करते हैं कि यदि किसी प्रकार का झूठा दावा या अन्य प्रकार का विवाद उक्त भू-खण्ड या भू-खण्ड के अंश पर स्वामित्व संबंधित पाया जायेगा तो इस तरह के मामले को लेख्यकारीगण खुद अपने खर्च पर जल्द से जल्द निबटायेंगे और इस कारण से निर्माण में हुई विलंब को निर्माण अवधि में नहीं जोड़ा जायेगा।
- 5 यह कि लेख्यकारी यह भी घोषणा करते हैं कि उक्त भूखंड से संबंधित इस तरह का कोई और एग्रीमेंट किसी अन्य व्यक्ति या फॉर्म के साथ नहीं है, अगर ऐसा पाया जाता है तो लेख्यकारी इस एग्रीमेंट को निरस्त करने हेतु एवं इस भूखंड पर निर्माण हेतु किये गये सभी कार्यों में खर्च किये गये राशि के हकदार होंगे। यह भी घोषणा करते हैं कि निर्माण अवधि में लेख्यकारी के सामने किसी प्रकार की दिक्कत पैदा नहीं करेंगे।
- 6 यह कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि भवन निर्माण के बाद निर्मित भवन तथा पार्किंग में लेख्यकारी/भूस्वामी का हिस्सा 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) तथा 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) हिस्सा विकासकर्ता/लेख्यकारी का होगा तथा लेख्यकारी ज्यादा से ज्यादा नियमानुकूल बहुमंजिला मंजिल बनाने एरिया का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ लेख्यकारी प्राथमिकता विकास का होगा जो अपने मर्जी से अपने हिस्सा का 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) एरिया लेंगे। इसमें लेख्यकारी एवं इनके उत्तराधिकारीगण को इस वक्त कोई एतराज नहीं होगा।
- 7 यह कि दोनों पक्षों में यह भी करार हो चुकी है कि उक्त भूमि पर प्रस्तावित भवन/इमारत का नक्शा नगर निगम, देवघर से पारित होने के बाद एक निबंधित एकरारनामा तैयार किया जायेगा जिसमें दोनों पक्ष के आपसी सहमति से प्लैट एवं कार पार्किंग स्पेस का बंटवारा कर लेंगे और अगर इस एकरारनामा में कुछ बातें

Raj Nath Singh
15-01-2020

3/9/2020-11/2/2020
15/01/2020

छूट गई है तो दोनों पक्ष आपसी सहमति से उक्त बातों का उल्लेख निबंधित एकरारनामा में कर लिया जायेगा।

8. यह कि लेख्यकारी यह भी घोषणा करते हैं कि उपर वर्णित भूखण्ड के अलावा इसमें और किसी अन्य व्यक्ति का हिस्सा नहीं है। अगर ऐसा होता भी है तो शर्त संख्या-6 के अनुसार सिर्फ लेख्यकारी के हिस्से में से ही हिस्सेदारी होगी ताकि लेख्यधारी के हिस्सा से यानि विकासक का हिस्सा किसी भी रूप में प्रस्तावित नहीं रहेगा।
9. यह कि इस भू-खण्ड पर, विकासक के द्वारा भवन निर्माण करवाने हेतु स्वीकृत होने वाले नक्शे पर भूस्वामी हस्ताक्षर करेंगे।
10. यह कि लेख्यकारीगण इस बातपर सहमत हैं कि समय-समय पर जरूरत पड़ने वाले सभी दस्तावेजों, डीड एवं सत्व संबंधी अन्य कागजात लेख्यधारी को उपलब्ध करवायेंगे।
11. यह कि प्रथम पक्ष पुनः सहमत हैं कि अगर निर्माण कार्य में विघ्न या निर्माण कार्य किसी कारणवश जैसे कि भूखंड से संबंधित किसी तरह का विवाद या न्यायालय का आदेश से बंद हो या वैसी परिस्थिति में जो कि बिल्डर के नियंत्रण से बाहर हो वैसी परिस्थिति में जरूरत अनुसार निर्माण अवधि सहमति में बढ़ाई जायेगी।
12. यह कि लेख्यकारीगण निर्माण कार्य का निरीक्षण करने का अधिकारी होगा और किसी तरह का कमी होने पर बिल्डर से कहकर उसका सुधार करवा सकते हैं, अधिकृत या वैध कार्य बंद कराने का अधिकार नहीं होगा। परंतु सूची-2 के अनुसार ही भवन का निर्माण करेंगे और अगर उसमें किसी प्रकार की कमी पायी गयी तो लेख्यकारीगण को यह अधिकार होगा कि विकासक को सूचित कर उसे सुधार करावें।

13. यह कि बहुमंजिला भवन उपरोक्त वर्णित समय के अंदर नहीं बन पाता है तो इसके बाद लेख्यधारी लेख्यकारी को उनके अधूरे हिस्से पर के बदले मो 20,000/- (बीस हजार) रुपये प्रतिमाह लेख्यकारी को भुगतान करेंगे। उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का प्राकृतिक आपदा जैसे भूकम्प, आग या किसी प्रकार के कानूनी अडचन के कारण समय की बढ़ोतरी होती है तो उक्त अवधि का समायोजन लेख्यकारीगण करते हुए निर्माण कार्य को बढ़ा देंगे।
14. यह कि लेख्यकारी नक्सा स्वीकृत होने की तिथि से 2½ वर्ष (ढाई वर्ष) में निर्माण कार्य पूरा करके लेख्यकारी को उनका हिस्सा सौंप देंगे। उक्त अवधि में अगर लेख्यकारी का हिस्सा नहीं मिलता है, तो लेख्यधारी को 6 (छः) महीना का कृपा काल/ग्रेस पीरियड, निर्माण हेतु विस्तार कर दिया जायेगा। समयावधि नक्सा पास होने पर रेरा में निबंधन होने के बाद कार्य शुरू होगा।
15. यह कि बिल्डर/लेख्यधारी अपने हिस्से को किसी भी व्यक्ति से सीधे बिक्रय कर, बिक्रय-पत्र निष्पादित कर सकते हैं और इस कार्य में लेख्यकारीगण को किसी भी प्रकार आपत्ति नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार लेख्यकारीगण को भी यह अधिकार होगा कि वे अपने हिस्से को किसी से बेच सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं, उसमें लेख्यधारी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।
16. यह कि सभी तरह के खर्चा का निष्पादन इस एग्रीमेंट के निष्पादन के तिथि से डेवलपर्स यानि लेख्यधारी द्वारा उठाया जायेगा परन्तु एग्रीमेंट के पहले का बकाया राशि अथवा अन्य प्रकार की जवाबदेही लेख्यकारीगण की ही होगी।
17. यह कि बिल्डर के द्वारा कॉमन क्षेत्र के लिए, प्रकाश, पानी आपूर्ति के लिए बोरिंग एवं पम्प की सुविधा प्रदान लेख्यधारी की ओर से की जायेगी। इसके अलावे विद्युत

Nishu Chandra, Kaushalesh Ranjan

15/11/20

15/01/20

Raj Nath Singh
15-01-2020
21/01/2020

- एवं जेनरेटर द्वारा विद्युत अन्य सदस्यों की तरह प्रथम पक्ष को भी उपलब्ध करायेंगे। विद्युत कनेक्शन विद्युत विभाग से अपने नाम से स्वयं लेंगे।
18. यह कि निर्माण कार्य के मार्ग में लेख्यधारी के द्वारा कार्य सम्पादन हेतु सभी तरह की कानूनी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने का अधिकार होगा, जिससे कि प्रस्तावित योजना का कार्यान्वयन हो सके। निर्माण कार्य में लागत पूंजी समावेश लेख्यधारी डेवलपर्स अपने सुविधानुसार करेंगे पूंजी मुहैया हेतु लेख्यधारी किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान से आर्थिक ऋण निर्मित क्षेत्र के अपने हिस्से का मॉरगेज कर सकते हैं वो ऋण ले सकते हैं।
 19. यह कि लेख्यकारी एवं लेख्यधारी के बीच किसी तरह का विवाद या मतभेद होने पर निष्पक्ष एवं स्वतंत्र पंच की नियुक्ति भारतीय आविट्रेशन एक्ट कानून के तहत किया जायेगा एवं दोनों पक्ष उपरोक्त कानून का उपयोग करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र रहेंगे।
 20. यह कि लेख्यधारी किसी भी हालत में सक्षम पदाधिकारी से नक्सा पास एवं रेरा में निबंधन होने की तिथि से 6 (छः) माह के अंदर निर्माण कार्य शुरू कर देंगे अगर निर्माण कार्य नहीं हो पाता है तो उस हालत में भूस्वामी उसकी सूचना देकर शीघ्र निर्माण करवा सकेंगे।
 21. यह कि बिल्डिंग का नाम 'शांति निकेतन' होगा।
 22. यह कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट हो जाने के उपरान्त विकासक उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति पर अपना बोर्ड लगा सकते हैं, ऑफिस बना सकते हैं, स्टाफ वगैरह का नियुक्त कर सकते हैं। इसमें भूस्वामी वो इनके उत्तराधिकारीगण को कोई एतराज नहीं होगा।

Ray Nath Singh
15.01.2020

2/3/2020
15/01/2020

Niraj Chandra

15/1/20

7

Kaushalesh Rayak

15/01/20

सूची संख्या-1

(जो विकास एकरारनामा की विषय वस्तु है)

हमगी वो तमामी मवाजी 8425 (आठ हजार चार सौ पचीस) वर्गफीट आवासीय परती भूमि, भूमि अवस्थित वोंके सर्वे मौजा नीलकंठपुर मुहल्ला बिलासी टाउन सर्वे थाना-देवघर हाल थाना-देवघर निबंधन कार्यालय-देवघर, जिला निबंधन कार्यालय-देवघर जिसका थाना नं०-415 तौजी नं०-..... खाता जमाबंदी नं०-56 सर्वे प्लॉट नं०-..... का अंश वजमीन्दारी झारखण्ड सरकार द्वारा सर्किल ऑफिसर देवघर जिसका लगान सलाना मो० 15/- (पन्द्रह) रूपये अलावे शेष है वो देवघर विकास प्राधिकार क्षेत्र के अंदर है जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है :-

- उत्तर :- रोड
दक्षिण :- सावित्री का जमीन (अंश)
पूरब :- लेख्यकारीगण का निज।
पश्चिम :- चान्दनी देवी का जमीन (अंश)।

VINDHYAVASINI CONSTRUCTIONS

Kaushalesh Ranjan
Partner

Raj Nath Singh
15-01-2020

सूची-2

1.	फाउन्डेशन	:-	आर.सी.सी. स्ट्रक्चर डिजाइन के अनुसार
2.	स्ट्रक्चर	:-	आर.सी.सी. फ्रेम के अनुसार
3.	सिविल वर्क	:-	एक नम्बर ईट/फल्स ईट/होलो ब्रीक से काम होगा एवं सिमेंट तथा बालु का अनुपात 1:6 होगा।
4.	छत	:-	आर.सी.सी. इसमें छड़, सेल/जिन्दल/कैप्टल/आई. एस. एस. मार्क एवं सिमेंट ए.सी.सी./ई. एस. डब्लू/अल्ट्राटेक

Niran Chandha
15/1/20 10

Kaushalesh Ranjan
15/01/20

2/3/20-4/4/20
15/01/2020

			/आई.एस.आई मार्क
5	फर्श	:-	विट्रीफाईट टाइल्स (ए.जी.एल./नितको/एशियन/आई.एस. आई. मार्क)
6	दरवाजा	:-	हार्ड लकड़ी का चौखट 32 मिली मीटर मोटा फैक्ट्री से निर्मित प्लस डोर पैनल प्राइमर सहित (मेन डोर. मेकॉन डोर लूकिंग ग्लास के साथ)।
7.	खिडकी	:-	एल्युमिनियम विंडो।
8.	वाथरूम	:-	दिवाल में 7 फीट ग्लेज्ड टाइल्स साथ ही जल आपूर्ति फिटिंग नल फिटिंग चीनी मिट्टी का सफेद पैन फिटिंग (वाथरूम फिटिंग इसको/जगवार/सोमानी आई.एस.आई. मार्क
9.	रसोई घर	:-	हरा मार्बल का बर्किंग प्लेटफार्म, स्टील सिंक तथा दिवाल में 24 ईच ग्लेज्ड टाइल्स आई.एस.आई. मार्क
10.	विद्युत	:-	कैजिसलड पी.बी.सी. कौन्ड्र्यूट वायरिंग सहित स्टैंडर्ड क्वालिटी का फिटिंग स्वीच के साथ डिजाइन के अनुसार (स्वीच ऍंकर/हेवेलस/कॉना/आई.एस.आई. मार्क।
11.	दिवाल	:-	अंदर के सभी दिवाल तथा सिलिंग सफेद प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा बाहर का रंगीन सेम सिमेंट वास
12.	टी.भी. प्लाइट	:-	सभी फ्लैटों में दो प्वाइंट
13.	सिर्विज	:-	सिर्विज डिजाइन के अनुसार उपर्युक्त व्यवस्था के साथ।
14.	जेनरेटर	:-	सभी फ्लैटों में आकस्मिक पावर सप्लाय।

Dr. Nank Singh
15/01/20

तदर्थ निम्न गवाहों की उपस्थिति में उभय पक्षों ने इस विकास एकरारनामा (डेवलपमेंट एग्रीमेंट) को पढ़कर, पढ़वाकर, सुन समझकर, बिना किसी दबाव या धमकी के तथा स्वस्थ मन एवं दिमाग से अपने-अपने शुभचिंतकों एवं कानूनी सलाहकारों से विचार-विमर्श कर, इस पर हस्ताक्षर बनाया ताकि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

नोट :- यह एकरारनामा दो प्रतियों में टंकित है जो एक दूसरे के समरूप है।

साक्षी गण

1. ⁹¹ कौशल कौशल
~~कौशल कौशल~~

2.

3.

4.

लेख्यकारी का हस्ताक्षर
 ठाकुर प्रेम नाथ सिंह
 15/01/2020
 (ठाकुर प्रेम नाथ सिंह)
 Raj Nath Singh
 15.01.2020
 (राजनाथ सिंह)

लेख्यधारी का हस्ताक्षर
 नीरज चन्द्रयादी
 (नीरज चन्द्रयादी)
 Kaushalish Ranjan
 (कौशलेश रंजन) 15/01/20

VINDHYAVASINI CONSTRUCTIONS
 Kaushalish Ranjan
 Partner



सरकार
Government of India



काशालेश रंजन
Kaushalesh Ranjan
जन्म तिथि/DOB: 05/02/1969
पुरुष/ MALE

4260 6364 1517

VID : 9103 9655 2793 9094

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारतीय पहचान पहचान प्राधिकरण

Unique Identification Authority of India

पता:
S/O जेवन्त कुमार वर्मा, डॉ. एच.पी. नारायण रोड, फ्लॉट
नं. ६, बसन्ती अपार्टमेंट जेवन गली एच.एच. रोड, मोरबादी,
रांची,
झारखण्ड - 834008

Address:
S/O Jivanta Kumar Verma, DR. H.P.
NARAYAN ROAD, FLAT NO. 6, BASANTI
APARTMENT JEEVAN GALI H.S. ROAD,
MORABADI Ranchi,
Jharkhand - 834008



4260 6364 1517

VID : 9103 9655 2793 9094



1947



help@uidai.gov.in



www.uidai.gov.in

VINDHYAVASINI CONSTRUCTIONS

Kaushalesh Ranjan

Partner

23. यह की प्रथम (जमीन मालिक) एवं द्वितीय पक्ष के बीच आपसी सहमति से फ्लैटों का बंटवारा निम्नलिखित रूप में हुआ।

जमीन मालिक का हिस्सा (प्रथम पक्ष)

फ्लैट न0	तल्ला	टाइप
101	प्रथम	3BHK
102	प्रथम	3BHK
103	प्रथम	2BHK
104	प्रथम	3BHK
105	प्रथम	2BHK
303	तृतीय	2BHK
304	तृतीय	3BHK
401	चतुर्थ	3BHK
402	चतुर्थ	3BHK
405	चतुर्थ	2BHK

Raj Math Singh
15/01/2020

राजमथ सिंह
15/01/2020

Nishu Chaudhary
15/1/20

Kaushalish Ranjan
15/01/20

VINDHYAVASINI CONSTRUCTIONS
Kaushalish Ranjan
Partner

बिल्डर का हिस्सा (द्वितीय पक्ष)

फ्लैट न0	तल्ला	टाइप
201	द्वितीय	3BHK
202	द्वितीय	3BHK
203	द्वितीय	2BHK
204	द्वितीय	3BHK
205	द्वितीय	2BHK
301	तृतीय	3BHK
302	तृतीय	3BHK
305	तृतीय	2BHK
403	चतुर्थ	2BHK
404	चतुर्थ	3BHK

Raj Nath Singh
15.01.2020

राज नथ सिंह
15/01/2020

Nisar Chaudhary

Kaushalesh Ranjan
15/01/20

VINDHYAVASINI CONSTRUCTIONS
Kaushalesh Ranjan
Partner